VISION IAS

www.visionias.in

GENERAL STUDIES (TEST CODE : 766)

Name of Candidate	Rheecha Ratnam		
Medium Hindi/Eng.	Hindi	Registration Number	4680
Center		Date	24/8/2016

INDEX TABLE		
Q. No.	Maximum Marks	Marks Obtained
1	12.5	
2	12.5	
3	12.5	
4	12.5	
5	12.5	
6	12.5	
7	12.5	
8	12.5	
9	12.5	
10	12.5	
11	12.5	
12	12.5	
13	12.5	
14	12.5	
15	12.5	
16	12.5	
17	12.5	
18	12.5	
19	12.5	
20	12.5	

Total Marks Obtained:

Remarks:

INSTRUCTIONS

1. Do furnish the appropriate details in the answer sheet (viz. Name, Registration Number and Test Code).
   उत्तर पुस्तिका में सूचनाएं भरना आवश्यक है (नाम, प्रश्न-पत्र कोड, विद्यार्थी क्रमांक आदि)।
2. There are TWENTY questions printed in HINDI and ENGLISH.
   इसमें बीस प्रश्न हैं तथा हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में छपे हैं।
3. All questions are compulsory.
   सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।
4. The number of marks carried by a question/part is indicated against it.
   प्रत्येक प्रश्न/भाग के अंक उसके सामने दिए गए हैं।
5. Answers must be written in the medium authorized in the Admission Certificate, which must be stated clearly on the cover of this Question-Cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in medium other that the authorized one.
   प्रश्नों के उत्तर उसी माध्यम में लिखे जाने चाहिए जिसका उल्लेख आपके प्रवेश पत्र में किया गया है और उस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न-सह-उत्तर (क्यूसीए) पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर अंकित निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिए। उल्लिखित माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिए गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे।
6. Word limit in questions, if specified, should be adhered to.
   प्रश्नों में शब्द सीमा, जहाँ विनिर्दिष्ट है, का अनुसरण किया जाना चाहिए।
7. Any page or portion of the page left blank in the Question-Cum-Answer Booklet must be clearly struck off.
   उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़ा हुआ पृष्ठ या उसके अंश को स्पष्ट रूप से काटा जाना चाहिए।

Scanned by CamScanner

EVALUATION INDICATORS

1. Alignment Competence
2. Context Competence
3. Content Competence
4. Language Competence
5. Introduction Competence
6. Structure - Presentation Competence
7. Conclusion Competence

Overall Macro Comments / feedback / suggestions on Answer Booklet:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

All the Best

Scanned by CamScanner

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

All the questions are compulsory and carry 12.5 marks each.

1. Legislative Councils in states are expensive and otherwise superfluous legislative appendages. Examine the utility of legislative councils in this context. Also, comment on the procedural aspect of setting up and abolishing them.

राज्य विधान परिषदें महंगी और अनावश्यक विधायी उपांग हैं। इस संदर्भ में विधान परिषदों की उपयोगिता की जांच करें। इसके अतिरिक्त इनके सृजन व उत्सादन के प्रक्रियात्मक पहलुओं पर टिप्पणी करें।

→ राज्य विधान परिषद, ऊपरी सदन का कार्य करती है, हालांकि संविधान में यह राज्यों के विवेक पर है कि, वे अपने राज्य में दूसरे सदन को रखते है या नहीं।

- विधान परिषद :- (LC)
  - राज्य में ऊपरी सदन का कार्य करती है
  - संविधान में उपबंध की विधान परिषद, में विधान सभा की $\frac{4}{3}$ सीट से अधिक सीटें नहीं होगी।
  - भारत में केंद्र व राज्य दोनों स्तरों पर संघीय प्रणाली लागू।

- विधान परिषद का लाभ :-
  - विधान परिषद, विधान सभा द्वारा जल्दबाजी में बनाए विधेयक, दोषपूर्ण व अविवेकपूर्ण विधेयक पर अवरोध व संतुलन का कार्य करेगी।
  - वैसे मेधावी व्यक्तियों को विधायिका का अंग बनाएगी, जो लोकप्रिय चुनाव नहीं जीत सकते।

Scanned by CamScanner

Don't write anything in this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

हालांकि, भारत में सिर्फ कुछ राज्यों ने ही दोहरे सदन का उपबंध रखा है।

हाल के दिनों में विधान परिषदों की उपयोगिता पर प्रश्न उठे हैं।

- विधान परिषदों की उपयोगिता पर प्रश्नचिन्ह :-

(i) विधान परिषदें, राज्य सभा की तरह विधेयकों को पारित होने से नहीं रोक सकती। LC, अधिकतम चार महीने तक किसी विधेयक को रोक सकती है।

अर्थात् दोनों सदनों के मध्य गतिरोध की स्थिति, में विधान सभा प्रभावी होगी।

(ii) विधान परिषदों की संरचना भी, इसकी उपयोगिता पर प्रश्न चिन्ह लगाती है।

(iii) विधान परिषद, चुनाव हारे हुए उम्मीदवारों, दलगत राजनीति व समझौतावादी प्रत्याशियों के लिए, एक प्रमुख विकल्प के रूप में उभरी है, जो राज्य की संचित निधि पर भार बनती है।

Scanned by CamScanner

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

विधान परिषदों के सृजन व उत्सादन संबंधी प्रक्रिया :-

- अनु. 169 के अनुसार, राज्य विधान सभा द्वारा विधानसभा सृजन / उत्सादन हेतु प्रस्ताव, विशेष बहुमत से (कुल सदस्यता का 50% + 1 व उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत) द्वारा पारित करने के बाद, संसद उक्त राज्य में विधान-परिषद सृजन / उत्सादन हेतु प्रस्ताव को दोनों सदनों में सामान्य बहुमत से पारित करती है।

- विधान-परिषद सृजन / उत्सादन, संसद के सामान्य बहुमत द्वारा तथा अनु. 368 के अंतर्गत अधिकथित विशेष प्रक्रिया द्वारा नहीं होता है।

- हाल ही में आंध्र प्रदेश में विधान-परिषद सृजित करने हेतु विधेयक को संसद के समक्ष रखा गया है।

Scanned by CamScanner

2. While some argue that Article 3 provides usurping powers to the center at the cost of states, according to others it enables the Parliament to maintain and preserve federalism as enshrined in the constitution. Discuss. Is it time to have a relook at Article 3 in the spirit of co-operative federalism?

जहाँ कुछ लोगों का तर्क है कि संविधान का अनुच्छेद 3 राज्यों की कीमत पर केंद्र को अनन्य शक्तियां प्रदान करता है, वहीं दूसरों के अनुसार, यह संविधान में निहित संघवाद को बनाए रखने तथा संरक्षित करने के लिए संसद को सक्षम बनाता है। चर्चा कीजिए। क्या सहकारी-संघवाद की भावना के अनुरूप अनुच्छेद 3 पर पुनः विचार करने का समय आ गया है?

→ संविधान का अनु॰ 3, संसद को नए राज्यों के निर्माण, उनके क्षेत्र को बढ़ाने / घटाने, उनके नाम में परिवर्तन करने संबंधी अधिकार देता है,

- अनु॰ 3, के द्वारा, संविधान की प्रथम अनुसूची में संशोधन, हालांकि संविधान में इससे संबंधित दो पूर्व शर्तें :-

(i) नए राज्य के निर्माण संबंधी विधेयक को राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बाद ही संसद में रखा जाएगा।

(ii) राष्ट्रपति, ऐसे विधेयक को संबंधित राज्य के विधानसभा के पटल पर रखेगा, तथा राज्य विधान-सभा एक निश्चित समयावधि के अंदर इस पर राय देगी।

- राज्य विधानसभा की राय, बाध्यकारी नहीं।

Scanned by CamScanner

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

• नए राज्यों के निर्माण की शक्ति, संघ में भारत को विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ बनाती है।

हाल के दिनों में अनु० 3 पर चर्चा, निम्नलिखित कारणों से :-

(i) संघ, राज्य विधानसभा की अनुमति के बिना भी, उस राज्य का विभाजन कर सकता है, यह संघीय भावना के विरुद्ध।

- यह सच है कि, अनु० 3 द्वारा प्रदत्त शक्ति के कारण ही, समय - समय पर केंद्र ने जन - भावनाओं को ध्यान में रखते हुए नए राज्यों का सृजन किया है। उदाहरणस्वरूप - तेलंगाना राज्य निर्माण, जबकि संयुक्त आंध्र विधानसभा उसके विरुद्ध थी, पर जनता द्वारा 1947 से इस राज्य की माँग।

- भाषायी आधार पर राज्यों का पुनर्गठन भी अनु० 3 के द्वारा संसद को प्रदत्त अधिकार / शक्ति के कारण संभव।

Scanned by CamScanner

VISION IAS™

Don't wri anything margin (इस भाग कुछ ना लिख

हालाँकि, आप अब सहकारी- संघवाद की भावना पर काफी ज़ोर दिया जा रहा है, तथा राज्यों को केंद्र के समान ही समानता देने संबंधी विचार, जैसे में राज्य की बिना पूर्व- अनुमति के, उनके राज्यक्षेत्र को निकालकर एक नए राज्य का निर्माण, सहकारी- संघवाद के अनुकूल नहीं।

- उच्चतम न्यायालय ने भी बाबूलाल पराते वाद में निर्णय दिया था कि, अनु० 3 के संदर्भ में संसद की शक्ति मान्य होगी।
- आवश्यकता है कि केंद्र व राज्य, दोनों ही अनु० 3 के अंतर्गत नए राज्यों के सृजन में परस्पर सहयोगी रहें।

Scanned by CamScanner

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

3. While the British Parliament is a sovereign legislature, the Parliaments of India and USA are non-sovereign legislatures. Explain. Also, compare the organisation and powers of the Indian Lok Sabha with the British House of Commons.

जहाँ ब्रिटिश संसद एक संप्रभु विधायिका है, वहीं भारत और अमरीका की संसदें गैर-संप्रभु विधायिकाएं हैं। स्पष्ट करें। इसके अतिरिक्त, हाउस ऑफ कॉमन्स और भारतीय लोक सभा के गठन की प्रक्रिया और शक्तियों की तुलना करें।

→ ब्रिटिश संसद, विश्व में सर्वाधिक शक्तिशाली विधायिका है।

- ब्रिटेन में न्यायपालिका, संसद द्वारा निर्मित विधेयकों का न्यायिक पुनरावलोकन नहीं कर सकती।
- जबकि भारत व अमरीका में, न्यायपालिका को विधानों के न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति।
- अमरीका में जहाँ, न्यायिक सर्वोच्चता का सिद्धांत, वहीं भारत में विधायिका व न्यायपालिका के मध्य संतुलन स्थापित करने संबंधी प्रयास।
- ब्रिटिश संसद, द्वारा कार्यपालिका की गतिविधियों पर नज़र रखी जाती है, तथा लिखित संविधान के अभाव में विधायिका की शक्ति पर निर्बंधन कम।

Scanned by CamScanner

Don't w... anything ... margin
(इस भाग ... कुछ ना लि...)

* हाउस ऑफ कॉमन्स और लोकसभा के गठन की प्रक्रिया व शक्तियों की तुलना :-

हाउस ऑफ कॉमन्स	लोकसभा
(i) इसके सदस्य, जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन विधि द्वारा चुने जाते हैं।	(i) इसके सदस्य भी, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रीति से चुने जाते हैं।
(ii) फर्स्ट-पास-द-पोस्ट सिस्टम (FPTP) के आधार पर चुनाव।	(ii) लोकसभा के भी सदस्य FPTP के आधार पर ही चयनित
(iii) हाउस ऑफ कॉमन्स, निचला सदन।	(iii) भारत में लोक-सभा भी निचला सदन।
(iv) ब्रिटिश संसद में शैडो सरकार का गठन, जिसका प्रमुख, विपक्ष का नेता होता है	(iv) भारतीय लोकसभा में शैडो सरकार जैसा कोई उपबंध नहीं।
(v) हाउस ऑफ कॉमन्स में प्रधानमंत्री एक नियत दिन, सदस्यों	(v) लोकसभा में प्रधानमंत्री से सीधे प्रश्न पूछने संबंधी

Scanned by CamScanner

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

हाउस ऑफ कॉमन्स	लोकसभा
द्वारा पूछे गए प्रश्नों का जवाब देता है।	ऐसी कोई नियत रीति नहीं।
(vi) हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य, विभिन्न विषयों व विधेयकों के संबंध में, अपनी पार्टी के विरुद्ध जा कर अपनी राय रख सकते हैं	(vi) भारत में 10वी अनुसूची के लागू होने के बाद सांसदों की निजी राय सीमित, उन्हें पार्टी व्हिप के अनुसार सदन में मत रखना पड़ता है, वरना सदस्यता के अयोग्य हो जाएंगे।
(vii) हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ लार्ड की तुलना में बेहद शक्तिशाली।	(vii) भारत में वित्त संबंधी विधेयकों को छोड़कर, लोकसभा व राज्यसभा की लगभग समान स्थिति।
(viii) हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा पारित विधेयक, को ऊपरी सदन सिर्फ कुछ समय के लिए रोक सकता है।	(viii) भारत में धन विधेयक के अतिरिक्त, अन्य सभी विधेयकों का दोनों सदनों द्वारा पारित होना अनिवार्य।
(ix) प्रधानमंत्री, निचले सदन का सदस्य होना चाहिए।	(ix) प्रधानमंत्री दोनों में से किसी सदन का सदस्य हो सकता है।

Scanned by CamScanner

Don't write anything in this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

4. While Fundamental Rights are crucial to the survival of a vibrant democracy, Fundamental Duties are equally important. While enumerating the Fundamental Duties, discuss the statement.

जहाँ एक जीवंत लोकतंत्र के अस्तित्व के लिए मौलिक अधिकार अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं, वहीं मौलिक कर्तव्य भी समान रूप से महत्वपूर्ण होते हैं। मौलिक कर्तव्यों को चिन्हित करते हुए प्रस्तुत कथन पर चर्चा कीजिए।

→ आधुनिक समय में, राष्ट्र-राज्य व नागरिकता जैसी अवधारणा, फ्रांसीसी क्रांति की देन।

- आधुनिक राष्ट्र-राज्यों में नागरिकता - व्यक्तियों के अधिकार व उनके कर्तव्यों को मिलाकर बनती है।
- लोकतंत्र में लोगों को समावेशी बनाने की प्रक्रिया पर जोर, जिससे लोग स्वयं को राष्ट्र के अंग के रूप में पहचान सकें।
- इसलिए, राज्यों द्वारा लोगों को अधिकार दिए जाने साथ ही इन अधिकारों के साथ लोगों के राष्ट्र तथा अन्य समुदायों के साथ जुड़े दायित्व, एक जीवंत लोकतंत्र के लिए बेहद आवश्यक हैं।

- भारत में, मौलिक अधिकार, जहाँ नागरिकों को राज्य की मनमानी के

Scanned by CamScanner

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

विरुद्ध दिए गए हैं वहीं पर वे संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़े गए मूल कर्तव्य, उन्हें एक नागरिक के रूप में उनके दायित्वों से परिचित कराते हैं।

* मूल कर्तव्य :- संविधान के अनु 51 क, भाग IV

- स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 11 मूल कर्तव्य, संविधान में उपबंधित शामिल किए गए।

(i) नागरिकों के मौलिक कर्तव्य :-

- देश की एकता व अखंडता अक्षुण्ण रखेंगे।
- राष्ट्र ध्वज, राष्ट्र-गान व राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान।
- स्वतंत्रता संघर्ष के प्रतीकों का सम्मान
- आपसी बंधुता व भ्रातृत्व बनाए रखने तथा उन प्रथाओं का परित्याग करना जो स्त्री गरिमा के विरुद्ध हैं।
- अपने पर्यावरण, नदियों, झीलों को स्वच्छ रखना।
- सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना।

Scanned by CamScanner

VISION IAS™

- वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा मानववाद की भावना रखना।
- 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा संबंधी उपबंध तथा अन्य मूल कर्त्तव्य।

ये सभी कर्त्तव्य, कानूनी रूप से प्रवर्त्तनीय नहीं हैं।

हालांकि, आवश्यक है कि समयानुसार कुछ अन्य मूल कर्तव्य भी जोड़े जाए,

(i) वोट देने संबंधी

(ii) कर चुकाने संबंधी- भारत की 85% जनसंख्या कर दायरे के बाहर

(iii) दुर्घटना के समय घायल व्यक्ति की सहायता संबंधी।

- जहाँ, अनेक देशों में नागरिकों व राज्य के मध्य सामाजिक अनुबंध में नागरिकों के लिए आवश्यक मिलिट्री सेवा, ड्यूरी सेवा जैसे प्रावधान, भारत में नागरिकों को अधिकार, बेहद कम कर्तव्यों के आधार पर मिले हुए हैं।

Scanned by CamScanner

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

5. Several constitutional experts have found the process of appointment and removal of governor to be against the very grain of democratic traditions and constitutional propriety. Do you think that this process warrants a fresh look in context of recent controversies surrounding the post?

कई संवैधानिक विशेषज्ञों ने राज्यपाल की नियुक्ति व इसे हटाने की प्रक्रिया को लोकतांत्रिक परंपराओं की मूलभावना और संवैधानिक मर्यादा के विरुद्ध पाया है। इस पद से जुड़े हाल के विवादों को देखते हुए क्या आप इस प्रक्रिया की समीक्षा की आवश्यकता महसूस करते हैं?

→ राज्यपाल की नियुक्ति व उसकी भूमिका, केंद्र - राज्य संबंधों में तनाव का एक मुख्य कारण है [सरकारिया आयोग]

- भारत में राज्यपाल की केंद्र द्वारा नियुक्ति संबंधी प्रावधान, कनाडा के संविधान से उद्गृहीत हैं।
- राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, तथा वह राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करता है; संविधान में यह उपबंध राज्यपालों को उनका कार्यकाल पूरा करने से पूर्व ही उन्हें पद से हटाये जाने संबंधी उपबंध करता है।
- अनु॰ 153 के अनुसार, राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित, अर्थात उसका पद केंद्र के अधीन कोई पद नहीं।

Scanned by CamScanner

VISION IAS™

हाल के दिनों में राज्यपालों को उनके पद से हटाये जाने या स्थानांतरित किए जाने संबंधी उदाहरण मिले हैं।

* राज्यपाल की नियुक्ति, हटाया जाना तथा विवाद :-

- राज्यपाल, राज्य में केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में कार्य करता है, यदि राज्य में विपक्षी दल की सरकार हो तो राज्यपाल की भूमिका कई बार विवादास्पद रूप भी ले लेती है।

उदाहरणस्वरूप - अरुणाचल प्रदेश में व उत्तराखंड में राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति शासन की घोषणा व इससे उपजा विवाद।

* आगे का मार्ग :-

- केंद्र - राज्य संबंधों की समीक्षा करने हेतु गठित सरकारिया आयोग ने सिफारिश की थी कि राज्यपाल की नियुक्ति, मुख्यमंत्री की सलाह पर की जानी चाहिए।

Scanned by CamScanner

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

- पुंछी आयोग ने भी अपने रिपोर्ट में सिफारिश की थी कि, राज्यपाल की नियुक्ति में मुख्यमंत्री की सलाह लेनी चाहिए।
- इसके अतिरिक्त राज्यपाल के रूप में वैसे व्यक्ति का चुनाव किया जाना चाहिए, जो कुछ वर्षों से सक्रिय राजनीति से दूर रहा हो।

- राज्यपाल द्वारा अनु. 356 का दुरुपयोग, एक बड़ी समस्या।
- राज्यपाल का कार्यकाल नियत अवधि का हो व राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद पर रहने संबंधी उपबंध में संशोधन की आवश्यकता है।

आवश्यकता है कि सहकारी संघवाद की भावना को मजबूत किया जाए तथा राज्यपाल की नियुक्ति व हटाए जाने पर उपर्युक्त संवैधानिक संरक्षण संबंधी उपाय अपनाए जाए।

Scanned by CamScanner

VISION IAS™

6. Repeated violations of the Model Code of Conduct (MCC) have raised questions on its effectiveness. In this light, discuss the idea of making MCC a part of Representation of Peoples Act, 1951.

आदर्श आचार संहिता (एम.सी.सी.) के बार-बार होने वाले उल्लंघन ने इसकी प्रभावशीलता पर प्रश्न खड़े किये हैं। इस आलोक में, आदर्श आचार संहिता को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 का हिस्सा बनाने के विचार पर चर्चा करें।

→ • आदर्श आचार संहिता (MCC) चुनाव के समय राजनीतिक दलों व चुनाव प्रत्याशियों के चुनाव संबंधी आचरण पर नैतिक बंधन लगाने हेतु निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशानिर्देशों का एक सेट है।

• MCC को कोई वैधानिक आधार (Statuary Backing) न होने के कारण, इसके दिशा-निर्देशों के कड़ाई से पालन में समस्या आती रही है।

• हालांकि, MCC के कई प्रावधान, दूसरे कानूनों के अंतर्गत आते हैं:-

(RPA अधिनियम)

(i) लोक-प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अंतर्गत MCC के निम्नलिखित उपबंध आते हैं-

(a) विभिन्न समुदायों के मध्य वैमनस्य फैलाना।

Scanned by CamScanner

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

(b) वोटिंग की गोपनीयता भंग करना।
(c) चुनाव के 48-घंटे पूर्व सार्वजनिक-सभा पर रोक।

- MCC के कुछ उपबंध, भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत आते हैं :-
(a) चुनाव पूर्व मतदाताओं को प्रलोभन देना।
(b) छद्म मतादाता (Impersonation of voting)

- 2013 में विधि व न्याय की विभागीय संसदीय समिति ने चुनाव सुधारों के ऊपर प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में, MCC को वैधानिक दर्जा दिए जाने संबंधी सिफारिश की थी।

- MCC को RPA अधिनियम, 1951 का अंग बनाए जाने संबंधी सुझाव, हाल ही में तमिलनाडु विधानसभा चुनावों में दो विधानसभा सीटों का निर्वाचन, निर्वाचन आयोग द्वारा रद्द कर दिए जाने के बाद चर्चा में है।

Scanned by CamScanner

VISION IAS™

Don't wri
anything
margin
(इस भाग
कुछ ना लिख

- हालाँकि, आवश्यकता है कि इस तथ्य पर विचार किया जाए कि, क्या MCC को वैधानिक दर्जा दिए जाने से, इसके उल्लंघन से संबंधित मामलों की सुनवाई में तीव्रता आएगी।
- MCC के उल्लंघन से संबंधित मामलों की बेहद नगण्य सुनवाई ने इसे अप्रभावी बनाया हुआ है।
- MCC, मुख्यतः नैतिक बंधन का कार्य करता है, परंतु बदली हुई परिस्थितियों में जब चुनावों में दलों के तथा चुनाव प्रत्याशियों द्वारा व्यक्तिगत आक्षेप व उग्र रवैया अपनाया जा रहा है, MCC पर पुनः एक बार सोचने की आवश्यकता है।

Scanned by CamScanner

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

7. The government cannot condition receipt of public benefits on waiver of fundamental rights. Discuss this statement in context of the recent issues raised in the Aadhaar petitions.

सरकार, जनता के समक्ष कल्याणकारी लाभों को प्राप्त करने के लिए, मौलिक अधिकारों के परित्याग की शर्त नहीं रख सकती। हाल ही में आधार कार्ड से सम्बंधित याचिका में उठाए गए मुद्दों के संदर्भ में इस कथन पर चर्चा करें।

→ केंद्र सरकार ने आधार अधिनियम, 2016 का मुख्य उद्देश्य सब्सिडि तथा अन्य सेवाओं हेतु लक्षित लाभार्थियों तक ~~[illegible]~~ योजना का लाभ पहुंचाना बताया है।

- आधार अधिनियम के पूर्व ही, आधार कार्ड व व्यक्ति की निजता (Right to Privacy) के मौलिक अधिकार को लेकर एक बहस छिड़ी हुई थी तथा उच्चतम न्यायालय में इस संबंध में एक याचिका भी दायर की गई।

- * आधार कार्ड के पक्ष में तर्क :-

(i) आधार कार्ड, लक्षित लाभार्थियों तक बिना किसी लिकेज व डुप्लिकेसी के योजना के लाभ को पहुंचाएगी।

(ii) आधार अधिनियम द्वारा एक

Scanned by CamScanner

VISION IAS™

विशेष पहचान प्राधिकरण (UIA) का गठन, जो नागरिकों के बायोमेट्रिक (फोटो, फिंगर प्रिंट, आईरिश स्कैन) व जनसांख्यिकी जानकारी को सुरक्षित रखेगी।

* आधार कार्ड के विपक्ष में तर्क व निष्पत्ति का हनन :-

(i) आधार कार्ड, राज्य समर्थित निगरानी को प्रोत्साहित करेगा, जो कि अनु० 19(1) के अंतर्गत प्रदत्त वाक् व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के विरुद्ध।

(ii) राज्य द्वारा नागरिकों के बायोमेट्रिक व जनसांख्यिकी जानकारियों का एकत्रित किया जाना, निजता के अधिकार के विरुद्ध जिसे अनु० 21 के अंतर्गत अधिकार माना गया है।

(iii) भारत में व्यक्ति की निजता तथा डाटा सुरक्षा के संबंध में यूरोपीयन काउंसिल के कन्वेंशन 108 के समान कोई विशेष अधिनियम नहीं।

Scanned by CamScanner

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

(iv) आधार अधिनियम 2016 में, राष्ट्र सुरक्षा के मामले में व न्यायालय द्वारा आदेश दिये जाने पर, बायोमेट्रिक व जनसांख्यिकी जानकारी साझा किए जाने संबंधी प्रावधान, डाटा सुरक्षा के संबंध में प्रश्नचिन्ह लगाते हैं।

(v) डाटा सुरक्षा के अभाव में, नागरिकों की बायोमेट्रिक व जनसांख्यिकी जानकारी के हाथ में पड़ साइबर अपराधियों के हाथ में पड़ सकती है, जो घातक सिद्ध हो सकता है। उदाहरणस्वरूप - महाराष्ट्र सरकार 2 लाख लोगों का आधार डाटा खो गया।

• इन सभी वाद-विवाद के बीच आवश्यकता है कि भारत में भी डाटा सुरक्षा से संबंधित विशेष कानूनों का निर्माण किया जाए।
– जस्टिस ए पी शाह समिति की रिपोर्ट के आधार पर डाटा सुरक्षा संबंधी कानून बनाए जाएं।

Scanned by CamScanner

VISION IAS™

8. Though the institutions protecting human rights and rights of the vulnerable sections are meant to act as watchdogs, they are treated as subordinate departments with scant regard for their autonomy or statutory character. Discuss the issues which these institutions are facing related to appointment, structure and functioning.

यद्यपि मानवाधिकारों और समाज के कमजोर वर्गों के अधिकारों की रक्षा करने वाले संस्थानों से इन अधिकारों के प्रहरी के रूप में कार्य करने की अपेक्षा की जाती है, लेकिन इन विभागों की स्वायत्तता या वैधानिक चरित्र के प्रति महज औपचारिक सम्मान प्रदर्शित करते हुए अधीनस्थ विभागों जैसा व्यवहार किया जाता है। इन संस्थाओं द्वारा नियुक्ति, गठन और कामकाज से संबंधित सामना की जा रही चुनौतियों पर चर्चा करें।

→ भारत में मानवाधिकार व समाज के कमजोर वर्गों से संबंधित विभिन्न संस्थानों की स्थापना संवैधानिक व वैधानिक रीतियों द्वारा की गई है, इन संस्थानों द्वारा सामना की जा रही चुनौतियां निम्नलिखित हैं :-

(1) भारत में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति हेतु राष्ट्रीय आयोग की स्थापना का प्रावधान संविधान करता है, लेकिन अन्य संस्थान कार्यपालिका के द्वारा विधि द्वारा निर्मित।

— इन संस्थानों में नियुक्तियां, सेवाशर्तें, अधिकारक्षेत्र, कार्यपालिका द्वारा निर्धारित, जो

Scanned by CamScanner

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

इनकी स्वतंत्रता पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं।

(II) मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है, लेकिन आयोग को शक्तियां तथा वित्तीय सहायता कार्यपालिका द्वारा प्रदान किया जाता है।

(III) इन संगठनों में सक्षम सदस्यों की नियुक्ति एक बड़ी चुनौती।
- कई बार नियुक्तियां राजनीतिक भावना से प्रभावित होती हैं।
- कई सदस्य, विभिन्न राजनीतिक पार्टियों (सत्ताधारी) से जुड़े होते हैं, फलस्वरूप वे सरकार के विरुद्ध कोई कार्य करने से बचते हैं।

(IV) कई संगठनों में कर्मचारियों की कमी की समस्या, इनके कामकाज को प्रभावित करती है।

Scanned by CamScanner

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

(v) विभिन्न आयोगों का गठन, उन्हें प्राप्त शक्तियों तथा अधिकार - क्षेत्र के अनुकूल नहीं।

— सिर्फ कुछ आयोगों के सदस्य ही ऐसी समितियों द्वारा चुने जाते हैं, जिनमें सत्तापक्ष व विपक्ष दोनों के प्रतिनिधि सम्मिलित।

Scanned by CamScanner

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

9. Equality of seats among states in Rajya Sabha could not be adopted after independence because of the circumstances prevailing at that time. However, there is a need to take a fresh look at this. Evaluate.

स्वतंत्रता पश्चात् राज्यसभा में राज्यों के बीच सीटों की समानता की संकल्पना तत्कालीन परिस्थितियों के कारण नहीं अपनाई जा सकी। हालांकि इस पर नए सिरे से विचार करने की आवश्यकता है। मूल्यांकन करें।

→ राज्यसभा के गठन संबंधी प्रस्ताव पर संविधान सभा में बोलते हुए पूर्णिमा बनर्जी ने कहा था कि राज्य सभा, अपनी सलाहकारी भूमिका को निभाएगा, इसके विचारों का महत्व हो सकता है, लेकिन मतों का नहीं।

- राज्य सभा का गठन, James Madison के अनुसार, निचले सदन की अधीरता व जोश पर अवरोध तथा संतुलन स्थापित करने हेतु किया गया था।
- राज्यसभा के गठन के समय, सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व दिये जाने संबंधी विचार पर चर्चा हुई थी, लेकिन संविधान सभा, बड़े राज्यों जिनमें आबादी का एक बड़ा भाग निवास करता था, को छोटे राज्यों (जिनकी आबादी कम)

Scanned by CamScanner

के बराबर प्रतिनिधित्व नहीं दिए जाने के पक्ष में थे।

- इस विसंगति से बचने हेतु, संविधान निर्माताओं ने राज्य सभा में राज्यों को जनसंख्या के अनुपात में सीटें/ प्रतिनिधित्व प्रदान किया।

* राज्य सभा सुधार तथा समान प्रतिनिधित्व प्रणाली :-

(i) हाल में राज्य सभा सुधार संबंधी चर्चा में, सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व देने संबंधी सुधार की भी चर्चा हो रही है।

(ii) समान प्रतिनिधित्व प्रणाली, अर्थात् राज्य सभा में सभी राज्यों को बराबर प्रतिनिधित्व, देश के संघीय ढाँचे को और मजबूत करेगा।

— सभी राज्यों को उनके आकार, जनसंख्या, GDP की तुलना

Scanned by CamScanner

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

के बिना राज्य सभा, में समान प्रतिनिधित्व सहकारी संघवाद तथा राज्यों के मध्य समानता की भावना को मज़बूत करेगा।

(iii) राज्य सभा में, सभी राज्यों को बराबर सीटें, राज्यसभा की कार्यवाही में बड़े राज्यों की भूमिका को कम करेगा तथा राज्यों के सदन की संकल्पना को और मज़बूत करेगा।

- आगे का मार्ग

राज्य सभा सुधार

(i) राज्य सभा की शक्तियों में कटौती की जाए।

(ii) राज्य सभा के सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रीति से हो।

Scanned by CamScanner

VISION IAS™

10. It is contended that the implementation of One-Rank-One-Pension (OROP) for the armed forces would create a severe strain on government finances. Explain the principles underlying the OROP and arguments that have been cited in its support as well as opposition.

यह दृढ़तापूर्वक कहा जा रहा है कि सशस्त्र बलों के लिए वन रैंक-वन पेंशन (ओ.आर.ओ.पी.) का कार्यन्वयन सरकार के वित्त पर एक गंभीर दबाव उत्पन्न करेगा। ओ.आर.ओ.पी. के अन्तर्निहित सिद्धांतों तथा इसके समर्थन एवं विपक्ष में दिए गए तर्कों की व्याख्या कीजिए।

→ सशस्त्र बलों के लिए वन रैंक - वन पेंशन (OROP) की माँग तीन दशक पुरानी है।

- OROP में निहित सिद्धांत :-

(i) समान रैंक व समान कार्य-अवधि से सेवानिवृत्त हुए सैनिकों को समान पेंशन दी जाए।

(ii) पेंशन में हुए बदलाव, पूर्ववर्ती पेंशनभोगी सैनिकों के लिए स्वचालित रूप से लागू हो।

* OROP के पक्ष में तर्क :-

(i) समान रैंक व समान अवधि तक सेवा देने वाले सैनिकों के पेंशन में भारी अंतर।

Scanned by CamScanner

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

(ii) सैनिकों की सेवा-अवधि, अन्य सेवाओं की अपेक्षा बेहद कम।
-80% तक सैनिक 35-37 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त हो जाते हैं, इसलिए उन्हें जीविका निर्वाह योग्य पेंशन से अधिक पेंशन मिलनी चाहिए।

(iii) वेतन व पेंशन की राशि कम होने के कारण, युवा वर्ग सेना में जाने से कतरा रहा है।

* ORDP के विपक्ष में तर्क :-

(i) सैनिकों को पेंशन के अतिरिक्त कई अन्य सुविधायें - आर्मी स्कूल, आर्मी हॉस्पिटल, आर्मी कैंटीन, जो आम नागरिकों को उपलब्ध नहीं।

(ii) ORDP का कार्यान्वयन, सरकार के वित्तीय स्थिति को

Scanned by CamScanner

VISION IAS™

व्यापक रूप से प्रभावित करेगा।

(iii) सैनिकों को वेतन के अतिरिक्त अन्य कई भत्ते मिलते हैं, जो नागरिक सेवाओं में नहीं।

OROP की माँग पर भूतपूर्व सैनिकों व सरकार के मध्य सहमति बन पाने के बाद, इस मुद्दे को भी कामयाबी मिलती दिख रही है, जो कि 25 लाख सेनानिवृत्त सैनिकों के लिए अच्छी खबर।

हालाँकि इससे संचित निधि पर भार बढ़ने की उम्मीद भी है।

Scanned by CamScanner

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

11. Article 311 of the Constitution has been a matter of much debate. Arguments range from its retention in its present form, or even strengthening it, to its total deletion. Comment.

संविधान का अनुच्छेद 311 बहस का महत्वपूर्ण विषय रहा है। इस विमर्श में इसे वर्तमान रूप में ही बनाए रखने, अधिक सशक्त करने से लेकर इसके विलोपन तक के मुद्दे शामिल हैं टिप्पणी करें।

→ अनु० 311, सिविल सेवकों को उनके पद से हटाये जाने के संबंध में उपबंध से संबंधित है।

— हालांकि अनु० 311 में सिविल सेवकों को पद से हटाये जाने के पूर्व विभिन्न रक्षोपाय, इस अनुच्छेद के विलोपन हेतु महत्वपूर्ण आधार प्रस्तुत करते हैं।

— भ्रष्टाचार के आरोप में किसी सिविल सेवक को उसके अधीनस्थ द्वारा गिरफ्तार नहीं किए जाने तथा अन्य उपबंधों ~~[illegible]~~, ~~[illegible]~~ के कारण, भ्रष्ट सिविल सेवकों को पदच्युत करने में बेहद समस्या आती है।

Scanned by CamScanner

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

- द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने, अपनी रिपोर्ट "Ethics in governance" में, अनु॰ 311 के विलोपन संबंधी सुझाव दिये थे।

- वहीं, विभिन्न प्रशासनिक अधिकारी, स्वतंत्र रूप से कार्य करने हेतु, इस उपबंध को बनाए रखने के पक्षधर हैं।

- अनु॰ 311, दोषी सिविल सेवक को साक्ष्य लाने संबंधी उपबंध, ईमानदार सिविल सेवकों हेतु इसे मुश्किल भी बनाता है।

Scanned by CamScanner

Don't write anything in this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

12. While Public Interest Litigations have provided access to justice for the poor and the marginalized sections of the society but many vested interests have also misused it. In this context, examine the utility of PILs as a tool of social justice.
यद्यपि जन हित याचिकाओं ने समाज के निर्धन एवं अधिकार विहीन वर्गों को न्याय तक पहुंच प्रदान किया है, लेकिन कुछ निहित स्वार्थों के कारण इसका दुरुपयोग भी हुआ है। इस संदर्भ में, सामाजिक न्याय के साधन के रूप में जन हित याचिकाओं की उपयोगिता का परिक्षण करें।

→ जनहित याचिका (PIL) ने भारत की न्यायपालिका को और अधिक जनोन्मुखी, लोकतांत्रिक तथा समाज के कमजोर वर्गों की न्याय तक पहुँच, बढ़ाने का कार्य किया है।

- हुसैनारा खातून v/s बिहार सरकार, जो कि प्रथम जनहित याचिका के रूप में वर्ष से शुरु हुए इस प्रक्रिया ने, मूल अधिकारों के दायरे को और व्यापक बनाने का काम किया है।

- हालांकि यह सच है कि PIL का दुरुपयोग कई बार विभिन्न निहित स्वार्थों व छद्म स्वयंसेवी संगठनों द्वारा किया जाना, इसकी मूल भावना पर आघात पहुँचाता है।

Scanned by CamScanner

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

• हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने PIL संबंधित याचिकाओं पर संज्ञान लेते हुए कहा कि यह आवश्यक है कि PIL का उपयोग गरीबों तथा वंचित वर्गों तक न्याय पहुँचाने के लिए हो व इसके दुरुपयोग व क्षुद्र याचिकाओं से निपटा जाए।

• PIL व न्यायिक सक्रियता, भारत के संदर्भ में दोनों एक-दूसरे से गहन रूप से जुड़े।

• PIL तथा इसका लाभ :-

(i) न्यायपालिका और अधिक जनोन्मुखी हुई। मूल अधिकारों का दायरा व्यापक हुआ है, तथा अनु. 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार में
- आजीविका का अधिकार,
- स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार इत्यादि

सम्मिलित हुए हैं।

(ii) कार्यपालिका और अधिक उत्तरदायी हुई है, चूंकि की स्थिति पर उच्चतम न्यायालय द्वारा कार्यपालिका को निर्देश इसका उदाहरण

Scanned by CamScanner

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

(iii) विभिन्न चुनाव सुधार लागू हुए हैं)
(iv) एक सामाजिक क्रांति की नींव
- खाद्य सुरक्षा का अधिकार,
आजीविका का अधिकार संबंधी निर्णय

* PIL तथा इसके नकरात्मक पक्ष :-

(i) कार्यपालिका, विधायिका व न्यायपालिका के मध्य के शक्ति संतुलन को नकरात्मक रूप से प्रभावित किया है।
- न्यायपालिका उन विषयों को भी अपने हाथों में ले रही है, जो अनन्य रूप से कार्यपालिका का विषय।
(ii) न्यायपालिका में काम का बोझ बढ़ा है।

• संविधान सभा वाद-विवाद में गोपालस्वामी अय्यंगर ने कहा था कि न्यायिक स्वतंत्रता आवश्यक, लेकिन यह आस्था का स्थान न ले, वरना न्यायपालिका, कार्यपालिका व विधायिका का कार्य अपने हाथों में लेने वाली एक अतिवादी संस्था बन जाएगी।

Scanned by CamScanner

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

13. What do you understand by alternate dispute redressal mechanism? Discuss the various tools of ADR. In light of the problems faced by the Indian judiciary enumerate the advantages of Lok Adalats.

वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्र से आप क्या समझते हैं? वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्र (ए.डी.आर.) के विभिन्न साधनों पर चर्चा करें। भारतीय न्यायपालिका के समक्ष पेश आ रही समस्याओं के आलोक में लोक अदालतों के लाभों का वर्णन करें।

→ वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्र से अभिप्राय है कि विभिन्न विवादों को न्यायपालिका के अतिरिक्त अन्य संस्थाओं द्वारा सुलझाये जाने संबंधी व्यवस्था।

- भारत में वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्र (A.D.R) संबंधी संकल्पना नई नहीं।
- प्राचीन व मध्य काल में पंचायतें, विवाद निपटारे के A.D.R के रूप में कार्य करती थी।

– वर्तमान के दिनों में, न्यायपालिका में न्यायाधीशों की कमी तथा लंबित मामलों की संख्या में वृद्धि, एक बड़े मुद्दे के रूप में न्यायपालिका के काम के बोझ को दर्शाती है।

- आवश्यकता है कि, उन मामलों को जिन्हें मध्यस्थता द्वारा सुलझाया जा सकता है, न्यायपालिका के बाहर ही सुलझाया जाए।

Scanned by CamScanner

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

* A·D·R के प्रमुख साधन :-

(I) ग्राम न्यायालय :- ग्राम न्यायालय द्वारा दो पक्षों के मध्य विवादों को सुलझाया जाना, एक प्रमुख साधन के रूप में उभरा। वैधानिक दर्जा प्राप्त।

(II) लोक अदालत - लोक अदालत, नालसा के अंतर्गत गठित, तथा A·D·R. का प्रमुख विकल्प।

(III) अधिकरण - विशेष मामलों से संबंधित विवादों को सुलझाने हेतु, कार्यपालिका द्वारा अधिकरणों का गठन।

* लोक अदालत तथा भारतीय न्यायपालिका :-

- भारतीय न्यायपालिका जस्टिस डिलिवरी से संबंधित समस्याओं से ग्रस्त रही है।

न्यायपालिका में काम का बोझ - एक रिसर्च संगठन के अनुसार पटना हाई कोर्ट में,

Scanned by CamScanner

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

ऑसतन, हर केस को सिर्फ 2 मिनट का समय प्राप्त।

- न्यायाधीशों की कमी - उच्च न्यायालय में 470 न्यायाधीशों का पद रिक्त।

- लोक अदालतें, न्यायपालिका की जस्टिस डिलिवरी में सहायता कर सकती हैं :-

(i) लोक अदालत में, कोर्ट में दायर मामले, साथ ही वैसे मामले जिनपर कोर्ट में याचिका दाखिल न हुई हो, सुनवाई होती है।

(ii) लोक अदालत में सिविल प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती, आम आदमी को अधिक समस्या नहीं।

(iii) दोनों पक्ष, लोक अदालत का निर्णय मानने को तैयार, लोक अदालत के निर्णय को न्यायपालिका की डिक्री के समान अधिकार प्राप्त।

(iv) विभिन्न, सार्वजनिक सेवाओं से संबंधित वादों की सुनवाई, स्थायी लोक अदालतों द्वारा।

Scanned by CamScanner

VISION IAS™

14. Bringing political parties under the ambit of RTI will not only usher accountability and transparency in governance but will also be a major step towards electoral reforms. Discuss.

राजनीतिक दलों को सूचना के अधिकार अधिनियम (आर.टी.आई.) के दायरे में लाने से न केवल पारदर्शी एवं उत्तरदायी शासन की शुरुआत होगी बल्कि यह चुनाव संबंधी सुधारों की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। चर्चा करें।

→ सूचना आयोग ने अपने आदेश में, राजनीतिक दलों को भी RTI (सूचना के अधिकार) के अंतर्गत आने को कहा था।

• हालांकि, देश की दोनों बड़ी राष्ट्रीय दल, RTI के दायरे में नहीं आना चाहते।

* **RTI तथा राजनीतिक दल व चुनाव सुधार :-**

— राजनीतिक दलों के RTI के अंतर्गत आने से उनकी कार्यशैली, वित्तीय अनुदान से संबंधित जानकारी आम जनता के समक्ष आएगी, जो उनकी कार्यशैली को और अधिक पारदर्शी बनाएगी।

Scanned by CamScanner

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

- राजनीतिक दलों के सदस्य ही अंतत: विधायिका व कार्यपालिका के सदस्य बनते हैं, RTI के अंतर्गत आने से, इन सदस्यों से संबंधित अन्य जानकारियां भी सार्वजनिक रूप से सामने आएंगी।

- लोकतंत्र में सिविल सोसायटी की बढ़ती भूमिका तथा जन भागीदारी का बढ़ता महत्व, आवश्यक है कि राजनीतिक दल, जनता के समक्ष अपनी विश्वास बढ़ाने हेतु स्वयं को RTI के अधीन लाएं।

- चुनावों के समय, नियत सीमा से अधिक धन का खर्च, हमेशा से एक विवादित विषय।

, राजनीतिक दलों को RTI के दायरे में लाने से चुनाव संबंधी खर्च पर अधिक विश्वसनीय जानकारी प्राप्त होगी तथा यह धनबल तथा मुफ्त वस्तुओं द्वारा मतदाताओं को प्रलोभन इत्यादि घटनाओं पर भी रोक लगेगा।

Scanned by CamScanner

Don't write anything in this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

- राजनीतिक दलों द्वारा विभिन्न स्रोतों से प्राप्त चंदा व अनुदान संबंधी जानकारियां, RTI के दायरे में आएंगी।

- लोकतंत्र में, जनता व सरकार के मध्य विश्वास में कमी (Trust Deficit), अच्छी स्थिति नहीं।

आवश्यकता है कि राजनीतिक दल स्वयं को अधिक से अधिक विश्वसनीय व पारदर्शी सिद्ध करने हेतु उपयुक्त कदम उठाए।

Scanned by CamScanner

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

15. A generational shift in railway operations is required. In light of this, discuss the need for an independent tariff and safety regulatory authority of India.

रेलवे के संचालन में आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है। इस तथ्य के प्रकाश में, भारत के लिए एक स्वतंत्र प्रशुल्क टैरिफ एवं सुरक्षा नियामक प्राधिकरण की आवश्यकता पर चर्चा करें।

- भारत में रेलवे का निर्माण, 1856 में लार्ड डलहौजी द्वारा शुरू किया गया।
तब से अब तक रेलवे ने भारत को एक देश के रूप में अपनी पहचान मजबूत करने में सहायता की है।
- विगत कई वर्षों से रेलवे, घाटे में चल रहा है।
- रेल यात्री भाड़े में, राजनीतिक दलों द्वारा लाभ कमाने हेतु वृद्धि न किया जाना इसका एक प्रमुख कारण।
- भारत में रेलवे द्वारा वस्तुओं की ढुलाई (Freight Prices), बेहद अधिक, जिसके कारण अन्य वैकल्पिक तरीकों - सड़क मार्ग, जल मार्ग द्वारा वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान भेजा जा रहा है।

Scanned by CamScanner

Don't write anything in this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

- रेलवे में सुधार से संबंधित समितियों सैम पित्रोदा समिति व बिबेक देबरॉय समिति ने एक स्वतंत्र टैरिफ विनियामक के गठन का सुझाव दिया था।

* स्वतंत्र टैरिफ विनियामक क्यों ?

→ • स्वतंत्र टैरिफ विनियामक, रेल यात्री भाड़े को मुद्रास्फीति के साथ जोड़कर बढ़ाने संबंधी कार्य, बिना किसी राजनीतिक दबाव के कर पाएगा।

- समय - समय पर रेल भाड़े में वृद्धि, ताकि रेलवे अपनी लागत वसूल सके, रेलवे को और प्रभावी बनाने में सहायता करेगी।

- आर्थिक सर्वेक्षण - 2015-16 के अनुसार रेलवे द्वारा दिए जाने वाली सब्सिडी, विशेषकर यात्री भाड़े
  - प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, स्लीपर का लाभ संपन्न वर्ग को अधिक व साधारण कोचों में सफर करने वाली गरीब जनता को कम।

Scanned by CamScanner

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

- इसके अतिरिक्त एक स्वतंत्र सुरक्षा नियामक प्राधिकरण - सुरक्षा लेखापरीक्षण अधिक निष्पक्ष रूप से कर पाएगा।
- स्वतंत्र टैरिफ तथा सुरक्षा नियामक प्राधिकरण, रेलवे द्वारा सामना की जा रही समस्याओं हेतु उचित समाधान उपलब्ध करा पाएंगे।

Scanned by CamScanner

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

16. It has been argued that the 'First past the post' system fails to represent the will of the majority and encourages vote-bank politics. In this context, examine whether India should adopt Proportional Representation System to reform our electoral process.
यह तर्क दिया जाता है कि 'फर्स्ट पास्ट द पोस्ट' प्रणाली बहुमत की इच्छा का प्रतिनिधित्व करने के स्थान पर वोट बैंक की राजनीति को प्रोत्साहित करती है। इस संदर्भ में, इस बात का परीक्षण करें कि क्या भारत को अपनी चुनावी प्रक्रिया में सुधार करने हेतु आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाना चाहिए?

→ संविधान सभा ने ब्रिटिश चुनाव प्रणाली की तर्ज पर फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम (FPTP) को भारतीय चुनाव प्रणाली हेतु अपनाया।

- इसे (FPTP) को अपनाए जाने की प्रमुख वजह, इसका सरल रूप था, क्योंकि उस समय भारत की अधिकांश जनसंख्या अशिक्षित थी।
- इसी आधार पर संविधान सभा ने आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को इसके जटिल स्वरूप के कारण नहीं अपनाया।

* भारतीय संदर्भ में आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली :-

(i) भारत में FPTP प्रणाली में, जिस उम्मीदवार को सबसे अधिक मत मिलते हैं, विजयी घोषित कर दिया जाता है।

Scanned by CamScanner

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

- आवश्यक नहीं कि उस उम्मीदवार को मतों का 50% मिले।

(ii) भारतीय चुनाव प्रणाली में कई बार, विभिन्न पार्टियों को मिले मत प्रतिशत में तो वृद्धि होती है, लेकिन उनकी सीटें घट जाती हैं।

उदाहरणस्वरूप - 2014 के लोकसभा चुनावों में BSP के कुल मत प्रतिशत में वृद्धि, लेकिन उसेन उक भी सीट नहीं जीता।

→ भारतीय चुनाव प्रणाली की इन विसंगतियों के जवाब में, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को अपनाये जाने संबंधी सुझाव दिए जा रहे हैं।

(i) आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, जिस दल को मतों का जितना प्रतिशत मिलेगा, उसके अनुपात में उसे विधायिका में सीटें मिलेंगी।

(ii) आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में, उन वर्गों को भी विधायिका में प्रतिनिधित्व मिलेगा, जो संख्या में बेहद कम व मतों का एक छोटा हिस्सा बनाते हैं।

Scanned by CamScanner

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

(iii) सरकार में विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होगा, सरकार सभी वर्गों को साथ लेकर चलने संबंधी नीति बनाने हेतु मजबूर होगी।

* आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का नुकसान / नकारात्मक पक्ष :-

(i) स्थायी सरकार का गठन बेहद मुश्किल हो जाएगा।

(ii) बेहद उग्र व अतिवादी विचार रखने वाले वर्गों का भी विधायिका में प्रतिनिधित्व जो देश की एकता में बाधक।

(iii) गठबंधन सरकारों का दौर, देश के विदेश नीति में राज्यों की भूमिका बढ़ जाएगी।

– आवश्यकता है कि FPTP प्रणाली में विधि आयोग व निर्वाचन आयोग द्वारा सुझाये गए सुझावों को लागू कर, कैसे और अधिक समावेशी बनाया जाए। (50%+1 मतों द्वारा चुनाव जीतना अनिवार्य)

Scanned by CamScanner

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

17. Independence of judiciary and separation of powers, both are part of the basic structure of the constitution. In this context, discuss the recent Supreme Court judgment on the constitutional validity of the National Judicial Appointments Commission.

न्यायपालिका की स्वतंत्रता एवं शक्तियों का विभाजन, दोनों संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा हैं। इस संदर्भ में, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (एन.जे.ए.सी.)की संवैधानिक वैधता पर दिए गए निर्णय पर चर्चा करें।

→ उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन (NJAC) करने संबंधी अधिनियम को असंवैधानिक करार दिया।

- NJAC, न्यायाधीशों के चयन व नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया में, कॉलेजियम प्रणाली का स्थान लेने हेतु बनाया गया था।

* NJAC वाद में उच्चतम न्यायालय का निर्णय :-

(i) NJAC में, न्यायिक भूमिका में न्यायपालिका का प्रतिनिधित्व, न्यायपालिका की स्वतंत्रता के संवैधानिक उपबंध के विरुद्ध है।

Scanned by CamScanner

VISION IAS™

(ii) NJAC में पदेन सदस्य के रूप में विधि मंत्री की उपस्थिति, न्यायपालिका की स्वतंत्रता तथा शक्तियों के विभाजन संबंधी प्रावधान के विरुद्ध है। (अनु० 124 A)

(iii) NJAC में दो प्रख्यात व्यक्तियों की नियुक्ति को भी उच्चतम न्यायालय ने असंवैधानिक बताया।

— उच्चतम न्यायालय ने NJAC वाद में अपना निर्णय सुनाते हुए कहा कि

चूँकि भारत में सिविल सोसायटी, अपनी प्रारंभिक अवस्था में 'है', उसी स्थिति में व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा का दायित्व न्यायपालिका के कंधों पर है', इसलिए आवश्यक है कि न्यायपालिका, कार्यपालिका से पूर्णतया पृथक रहे।

Scanned by CamScanner

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

* उच्चतम न्यायालय (SC) के इस निर्णय के बाद, कार्यपालिका व न्यायपालिका के मध्य न्यायाधीशों के चयन व नियुक्ति संबंधी विवाद गहरा गया है।

- कॉलेजियम प्रणाली के द्वारा न्यायाधीशों के चयन व नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है तथा समय-समय पर इस प्रणाली पर प्रश्नचिन्ह लगते रहे हैं। (2008 में SC में 3 न्यायाधीशों की नियुक्ति, जबकि तत्कालीन दिल्ली HC के न्यायाधीश वरिष्ठतम थे)

- चूंकि उच्चतम न्यायालय, RTI के अधीन नहीं, इसलिए इसकी कार्यशैली पारदर्शी व जवाबदेह नहीं है।

• आवश्यकता है कि कार्यपालिका व न्यायपालिका इस मुद्दे पर एक दूसरे के साथ सहयोग करने संबंधी रुख अपनाएं, तथा इस प्रणाली को और अधिक पारदर्शी बनाए।

• संविधान सभा वाद-विवाद में न्यायिक स्वतंत्रता पर बोलते हुए गोपालस्वामी अयंगार ने कहा — न्यायिक स्वतंत्रता यदि आस्था का स्थान ले लेगी तो शायद न्यायपालिका एक अतिवादी संस्था बन जाएगी।

Scanned by CamScanner

VISION IAS™

Don't write anything in the margin (इस भाग में कुछ न लिखें)

18. AMRUT gives state governments the flexibility in designing schemes and eases central monitoring. Explain. How far can it recast the urban landscape of India?
अमृत (AMRUT) राज्य सरकारों को योजनाओं के प्रारूप निर्धारण के सन्दर्भ में लचीलापन प्रदान करता है तथा केंद्र द्वारा की जाने वाली मॉनीटरिंग को आसान बनाता है | वर्णन करें। भारत के शहरी परिदृश्य को यह किस हद तक पुनर्निर्मित कर सकता है?

→ अमृत योजना, केंद्र सरकार द्वारा शहरी परिवारों को बुनियादी सुविधायें प्रदान करने तथा उनके जीवन-स्तर में सुधार लाने हेतु शुरू की गई है।

* अमृत योजना के मुख्य बातें :-

(i) प्रत्येक शहरी परिवार को सुनिश्चित जलापूर्ति, सीवेज सुविधायें प्रदान करना।

(ii) शहरों में सुविधाओं का विकास तथा हरितकरण व पार्कों के निर्माण को बढ़ावा देना।

(iii) गैर-मोटर वाहनों (साइकिल), पैदल यात्रियों तथा सार्वजनिक परिवहन तंत्र द्वारा शहरों के प्रदूषण को कम करना।

Scanned by CamScanner

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

- अमृत योजना में राज्य सरकारों को अपने तरीके से योजना निर्माण की छूट दी गई है।

- राज्य सरकारों को अपनी कार्य योजना केंद्र सरकार को पेश करनी है, जिसके आधार पर राशि का आवंटन किया जाएगा।

- सहकारी संघवाद की भावना को प्रोत्साहन देता है, जिसमें राज्य अधीनस्थ निकाय न होकर, केंद्र के सहयोगी के रूप में कार्य कर रहे हैं।

- राज्य सरकारें, योजना राशि को स्थानीय शहरी निकायों को हस्तांतरित करेंगी, जो जमीनी स्तर पर इस योजना का क्रियान्वयन करेंगे।

Scanned by CamScanner

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

- भारत के शहरों में प्रवासियों की बढ़ती संख्या व जनसंख्या के इस भाग को बुनियादी सुविधाओं तक उनकी पहुँच सुनिश्चित करने में यह योजना, महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

- मलिन बस्तियों में रह रहे परिवारों तक जलापूर्ति व सीवेज सुविधाओं का निर्माण, नदियों को स्वच्छ रखने में भी सहायक सिद्ध होगा।

- सार्वजनिक परिवहन तंत्र में सुधार, शहरों में बढ़ते प्रदूषण व जाम जैसी समस्याओं का एक हल उपलब्ध करने में सक्षम।

- शहरों में हरितकरण, वायु स्वच्छ तथा वर्षा जल के लिए लाभदायक

Scanned by CamScanner

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

19. There has been a tendency to resolve specialized cases faster through the means of Tribunals. In light of this, discuss the issue of increasing "tribunalisation" of courts in India.

न्यायाधिकरण जैसे साधनों के माध्यम से विशेष मामलों को तेजी से हल करने की प्रवृत्ति देखी जा रही है। इसके सन्दर्भ में, भारत में न्यायालयों को न्यायाधिकरणीकृत करने की बढ़ती प्रवृत्ति के मुद्दे पर चर्चा करें।

→ न्यायालयों के न्यायाधिकरणन से अभिप्राय है - न्यायालयों के अधिकार क्षेत्रों का कार्यपालिका द्वारा निर्मित अधिकरणों (Tribunals) को स्थानांतरण। केंद्र व राज्य सरकारों को अधिकरण की स्थापना का अधिकार।

- अनु. 323 B, ने चन्द्रकुमार वाद

- उच्चतम न्यायालय में कहा था कि चूँकि ये अधिकरण, न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्रों से विभिन्न अधिकार क्षेत्रों को प्राप्त कर रहे हैं, अतः इनके लिए भी आवश्यक है कि न्यायपालिका के समान संवैधानिक संरक्षणों का उपबंध किया जाए।

* अधिकरण व उनकी समस्या तथा न्यायपालिका का दृष्टिकोण :-

(i) विभिन्न अधिकरण, मंत्रालयों के अंतर्गत कार्यरत, यह उनकी स्वतंत्रता पर प्रश्नचिन्ह लगाता है।

Scanned by CamScanner

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

(ii) अधिकरणों में सदस्यों की नियुक्ति, उनका अधिकारक्षेत्र, कार्यपालिका द्वारा निर्धारित, एक बड़ी समस्या।

- न्यायपालिका ने, अदालतों के बढ़ते न्यायाधिकरणीकृत करने की प्रवृत्ति को
  - ✓ न्यायपालिका की स्वतंत्रता
  - ✓ शक्तियों के विभाजन के सिद्धांत

  के विरुद्ध बताया है।

- न्यायपालिका का कहना है कि, इन अधिकरणों के सदस्यों के पास भी न्यायाधीशों के समान योग्यता, सक्षमता व प्रतिष्ठा होनी चाहिए।

Scanned by CamScanner

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

कार्यपालिका द्वारा अधिकरणों की स्थापना, न्यायिक शक्तियों का न्यायपालिका से कार्यपालिका की ओर स्थानांतरण दिखाता है, जो शक्तियों के विभाजन के सिद्धांत के प्रतिकूल।

- मद्रास उच्च न्यायालय ने, 2014 में बौद्धिक संपदा अधिकरण के विभिन्न प्रावधानों को असंवैधानिक घोषित कर दिया था।

आवश्यकता है कि इन अधिकरणों को जिन विशिष्ट उद्देश्यों हेतु गठित किया जा रहा है, उस हेतु सक्षम बनाया जाए।

Scanned by CamScanner

VISION IAS™

20. While the 73rd and 74th constitutional amendments provided for representation to women in local governance, much work remains to be done to ensure their true participation, given their present socio-economic conditions. Comment.

यद्यपि 73वें और 74वें संविधान संशोधन ने महिलाओं को स्थानीय शासन में प्रतिनिधित्व प्रदान किया है, लेकिन उनकी वर्तमान सामाजिक-आर्थिक स्थिति को देखते हुए, महिलाओं की वास्तविक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए बहुत कुछ किया जाना शेष है। टिप्पणी करें।

→ भारत में 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा स्थानीय निकायों का गठन, इन्हें स्वशासन की प्रभावी इकाईयों के रूप में सशक्त करने हेतु किया गया था।

- महिलाओं को विस्तरीय पंचायतों में 33% आरक्षण तथा शहरी निकायों में भी, उन्हें सशक्त करने तथा प्रशासन में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु किया गया था।

- हालांकि, स्थानीय स्तर पर कुछ गंभीर प्रवृत्तियों ने इस उद्देश्य के मार्ग में बाधा पहुँचाई है :-

Scanned by CamScanner

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

(i) ऐसे कई उदाहरण, जब महिलायें सिर्फ नाम-मात्र के लिए निर्वाचित होती हैं, तथा उनका सारा कार्य उनके परिवार के पुरुष सदस्यों द्वारा किया जाता है।

(ii) मुखिया पति, वार्ड पति जैसे संबोधन, इस प्रवृत्ति की ओर इशारा करते हैं।

(iii) चुनाव जीतने के बावजूद महिलायें घर तक ही सीमित, फलस्वरूप उनका आर्थिक - सामाजिक सशक्तीकरण न के बराबर।

(iv) बिहार जैसे राज्यों में महिलायें उनकी छद्म उम्मीदवार, हालांकि सामाजिक स्थिति में पिछले कुछ वर्षों में सुदृढ़ हुई है, लेकिन प्रशासन में उनकी वास्तविक भागीदारी न के बराबर।

Scanned by CamScanner

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

* आशय का भाव :-

(i) आवश्यकता है कि महिलाओं को प्रशासन में वास्तविक रूप से भागीदार बनाने हेतु कदम उठाए जाए व उसी कुप्रवृत्तियों पर रोक लगाने हेतु व्यापक कदम उठाए जाएँ।

(ii) महिलाओं को शिक्षित, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करने की आवश्यकता।

Scanned by CamScanner